तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/4977/2003/जालौर** **परबतसिंह बनाम मांगीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :– 29.11.2024

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली की अपील संख्या 71/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– योग्य अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

3– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद के कथनों के अनुसार प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की जिसके कारण वाद वादीगण सही रूप से निर्णित नहीं किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 20 नियम 4 (2) व आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं है। वादीगण स्वयं विवादग्रस्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का होना मानकर आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड के मुकाबले में वादीगण ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया था कि विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की नहीं होकर वादीगण/अपीलांट की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार पारित नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए वादीगण/अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे।

4– हमने योग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य निर्णयों का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टीए/4977/2003/जालौर** **परबतसिंह बनाम मांगीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा धानसा तहसील भीनमाल सम्वत् 2012 से 2015 में विवादित साबिक खसरा नं0 1346 में खातेदार भेरा पुत्र चतरा कौम भाम्बी दर्ज है तथा जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2020 से 2023 में भेरा वल्द चतरा कौम घांची दर्ज है एवं जमीदारी के खाने में राजस्थान सरकार दर्ज है व सम्वत् 2020 से 2023 में विरदसिंह लिखा गया है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार कृषक या उपकृषक के रूप में अंकित दर्ज नहीं था। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का वादीगण/अपीलांट को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से इस द्वितीय अपील में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर, भीनमाल के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2001 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–07–2003 यथावत् रखी जाती है।

7– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष